संख्या–आडिट–2–38/दस–2020–604(31)/2019

प्रेषक,

राजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0 प्र0,
तृतीय तल, विकास दीप,
हुसैनगंज लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 01 मई 2020

विषय–रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स विभाग में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।

महोदय,

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम– 1860 की विभिन्न धाराओं में निबन्धक के कर्तव्य एवं अधिकार प्राविधानित हैं। सोसाइटी के पंजीकरण, नवीनीकरण व सम्बद्ध अन्य प्रयोजनों के लिये प्रक्रिया को सरल किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स विभाग की कार्य प्रणाली के सरलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है:–

1– उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नियमावली–1976 के नियम–4 तथा प्राविधानित माडल प्रारुप–3 को विभागीय वेबसाइट uprfsc.gov.in पर अपलोड किया जाये।

2– विभागीय वेबसाइट पर यह अपलोड किया जायेगा कि पंजीकरण हेतु आवेदन के समय किन–किन प्रपत्रों की आवश्यकता होगी, यह भी उल्लेख किया जायेगा कि वर्णित प्रपत्रों में यदि कोई कमी है, तो उस प्रार्थना पत्र को अपूर्ण माना जायेगा एवं आवेदक को कमियों का निवारण करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा।

3– पोर्टल पर आवेदन करने पर आवदेक को कम्प्यूटर जनित पावती (ACKNOWLEDGEMENT) उपलब्ध करायी जाय।

4– जनहित में ऐसे प्रकरणों में 15 कार्य दिवसों के अन्दर प्रपत्रों का परीक्षण कर या तो प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा अथवा यदि कोई आपत्ति है तो उसे आवेदक को पोर्टल के माध्यम से ही संसूचित करा दिया जाये।

5— आवेदक को संसूचित होने के 15 दिन के अन्दर आपत्ति का निवारण अनिवार्य रुप से करना होगा।

6— आपत्ति प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस के भीतर यदि आवेदक द्वारा आपत्ति का निवारण नहीं किया जाता है, तो आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा आवेदन शुल्क को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा। आवेदक के पास पुनः आवेदन करने के लिये अवसर रहेगा।

7— पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु समस्त आवश्यक निर्देश, वांछित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायें।

8— आवेदक को उसके आवेदन—पत्र में त्रुटि/कमी यदि कोई हो तो, ऐसी समस्त त्रुटियों एवं वांछनाओं को एक ही बार में संसूचित किया जायेगा।

2— कृपया उक्त का कडाई से अनुपालन सुनिशिचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—आडिट—2—38(1)/दस—2020—604(31)/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

2— समस्त मण्डलीय उप/ सहायक निबन्धक,फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स विभाग, उत्तर प्रदेश।

3— गार्ड फाईल

आज्ञा से

(संजीवन)
अनुसचिव।